व मोबाईल नंबर

अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड .... कठूमर जिला अलवर

अधिवक्ता 2/86/2021 ....

तारीख रजू..............................

तेजसिंह **बनाम** केदार वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.06.2021	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नम्वर 750, वाके ग्राम लाटकी तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात को सायलान एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 2 लागायत 6 के कब्जेकाश्त में किसी तरह की रूकावतट मजाहमत पैदा न करें जवरन वेदखल कर खुद कब्जा न करें विवादित आराजी मे कच्चा पक्का निर्माण न करें। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 09.09.2021 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 09.09.2021 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	01/415 15/7/21
9/9/21	वकील प्रार्थी उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक 25/6/21 की पालना में पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 20/12/21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
29/10/21	प्रकरण राज्य सरकार के आदेशानुसार आयोजित 89-L86 लोक अदालत में रखने योग्य पाया जाता है। अतः पत्रावली लोक अदालत में पंचायत मुख्यालय .... पर दिनांक 21.12.21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहलकार की तामील
9/12/21 NOT PRESS [signature] प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021	पत्रावली आज मूल वाद के साथ प्रशासन गाँव के संग अभियान कैम्प कोर्ट में उपस्थित हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी अपने प्रार्थना-पत्र को और चलाना नहीं चाहते हैं उन्होंने अपने प्रार्थना-पत्र वापस लेने की बाबत [illegible] कर दिया है अतः प्रार्थना-पत्र वापस लिये जाने के आधार पर [illegible] में खारिज किया जाता है पत्रावली [illegible] शामिल होकर [illegible] के बाद दाखिल मूल वाद के साथ शामिल रहे। सुनाया। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	